

## Details for registration number : GOVUP/E/2025/0133877

Name Of Complainant Mahima Maurya

Date of Receipt 26/11/2025

Received By Ministry/Department Uttar Pradesh

Grievance Description

TO,  
The Most Respected **\*\*Director General of Police (DGP),\*\***  
Uttar Pradesh Police Headquarters,  
Lucknow, Uttar Pradesh.

**\*\*Through:\*\*** Proper Channel/Online Grievance Mechanism (Reference:  
**\*\*GOVUP/E/2025/0122171\*\***)

**\*\*Subject: Urgent Request for Intervention Against Submitting a Misleading Final Report and Compelling the Submission of Suppressed Medical Evidence in NCR No. 104/2024 (P.S. Vindhyachal).\*\***

**\*\*Respected Sir/Madam,\*\***

I, **\*\*Mahima Maurya\*\***, the victim and complainant in the referenced case, humbly submit this grievance regarding the partial and misleading report submitted by the local police, which prejudices the pursuit of justice.

---

**### \*\*A. Core Case Facts & Court Order\*\***

The case involves **\*\*NCR No. 104/2024\*\*** (Under Sections 115(2)/352 BNS, P.S. Vindhyachal), based on a court order dated **\*\*09/06/2025\*\*** from the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Mirzapur. The original medical reports from Tej Bahadur Sapru Hospital, Prayagraj, confirm a **\*\*Thumb Fracture\*\*** (Grievous Hurt). The investigation involved S.I. Jaishankar Ray (Former IO) and S.I. Raghavendra Rai (Current IO).

---

**### \*\*B. Facts of Misconduct and Suppression of Evidence\*\***

The investigating officers have failed in their legal duty:

1. **Non-Return of Original Evidence:** The original medical evidence was taken by former IO, **S.I. Jaishankar Ray**, who failed to return it or formally transfer it.
2. **Submission of Misleading Charge Sheet:** Current IO, S.I. Raghavendra Rai, filed a **Charge Sheet (No. nil/2025 dated 24.10.2025)** under minor sections (BNS 115(2)/352) and falsely stated: "No corroborative evidence has been found in the investigation so far regarding the other allegations..." This statement deliberately omits or suppresses the known evidence of the grievous injury.
3. **Evasive Grievance Reply by CO:** The final action taken report submitted by the **Circle Officer (City, Shri Vivek Jawala)**, which closed the earlier grievance, was a repeated, generic reply that **failed to address the specific submission regarding the missing original evidence and its chain of custody.**

---

### **C. Proof of Suppressed Evidence (Medical Board Inquiry)**

The suppressed evidence is verifiable:

\* The matter was referred to a **Medical Board** (CMO, Mirzapur) vide **Letter No. Mu.C.Adhikari/Me.Bo./2025-26/607 dated 29.08.2025.**

\* The original documents were physically presented to the Medical Board by S.I. Raghavendra Rai (as verbally confirmed by the IO to the Medical Board members).

\* The **Medical Board has concluded its inquiry** and prepared a **Final Report** confirming the nature of the injury. This report is conclusive evidence of **Grievous Hurt** that the police have willfully failed to file in the Hon'ble Court.

Image of a formal medical report

---

### **D. Prayer/Request for Immediate Action**

I humbly request your esteemed office to:

1. **Immediate Order for Supplementary Report:** Issue immediate and strict orders to the **Senior Superintendent of Police, Mirzapur**, to compel **S.I. Raghavendra Rai** to file a **Supplementary Charge Sheet** (under Section 173(8) BNSS) in the Hon'ble Court. This report must include:
  - \* The **Original Medical Treatment Documents** (Thumb Fracture X-Rays/Reports).
  - \* The **Final Report/Opinion of the Medical Board, Mirzapur**.
2. **Inquiry into Misconduct:** Order a high-level inquiry into the conduct of the **Circle Officer**

(City)\*\* for submitting an evasive and misleading grievance reply, and into the officers responsible for suppressing evidence of 'Grievous Hurt' to protect the accused.

3. **\*\*Provide Copies:\*\*** Order the police to provide a free copy of the **\*\*Charge Sheet No. nil/2025\*\*** and all annexed documents to the applicant immediately.

I trust that you will take swift and necessary action to ensure the full truth, including evidence of grievous injury, is placed before the Hon'ble Court for the proper framing of charges.

Current Status	Case closed
Date of Action	08/12/2025
Remarks	
	आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है महोदय, जाँच आख्या संलग्न है अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित
	Officer Concerns To
Officer Name	Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)
Organisation name	Government of Uttar Pradesh
Contact Address	Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address	arvind.12574@gov.in
Contact Number	05222226350

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

मीरजापुर।

पत्रांक: आईजीआरएस-12/2025

दिनांक: दिसम्बर 08, 2025

सेवा में,


लोक शिकायत अनुभाग-3  
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)  
30प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्या: 60000250275283 दिनांक 27-11-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासिनी गोडसर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद मीरजापुर ।


आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या: 60000250275283

दिनांक- 05.12.2025

1.	शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो०नं०	शिकायतकर्ता श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोडसर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो०नं०- 9198010433 । 7355543503
2.	विपक्षी का नाम पता व मो०नं०	मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोडसर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो०नं०- 9792677996 ।
3.	जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो०नं०	अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर ।
4.	प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण	आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व शुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया ।
5.	विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेलू/अपराधिक/अन्य विवाद)	अन्य विवाद ।
6.	शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण	विपक्षी द्वारा मार पीट करने के संबंध में ।
7.	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान	निल ।
8.	विपक्षीगण के बयान	निल ।
9.	स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०नं०)	निल ।
10.	विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116CrPc अथवा170/126/135B.N.S.S आदि कार्यवाही	निल ।
11.	यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व की आख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये	निल ।
12.	विवाद की दशा में धारा 107/116CrPc अथवा 126/135BNSS की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117CrPc की पा बन्दी का आदेश संलग्न करे पूर्ण विवरण	निल ।
13.	विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण	निल ।
14.	प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सूचित किया गया है या नहीं।	निल ।
15.	प्रकरण में धारा 151CrPc अथवा 170 BNSS की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया।	दोनों पक्षों का दिनांक 14-09-2024 170/126/135 BNSS की कार्यवाही की गयी है।
16.	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा० न्या० नाम/वादसंख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण	निल ।
17.	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।	25.165137 82.381023
18.	प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया जा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम ।	अब तक कुल 30 प्रार्थना पत्र दे चुकी है 01-10-24 के 03,08-10-24 को01,08-10-24 को01, 22-10-24 को01,26-10-24 को01, 04-11-24 को01,15-11-24 को01, 27-11-24 को01, 05-12-24 को01, 14-12-24 को01, 23-12-24 को01, 03-01-25 को01,12-01-25 को01,17-01-25 को01 , 26-01-25 को01 , 29-01-25 को01,13-02-25 को01,05-03-25 को01,10-03-25 को01,01-04-25 के 02 ,16-04-25 का01 ,17-04-25 को01,20-04-25 को01 ,30-04-25 को01, 01-05-25 को01 ,02-05-25 को01 ,24-05-25 के 02
19.	प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।	निल
20.	धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निल ।	निल
21.	जमीनी बेनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त करके अपलोड करें।	निल
22.	मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांस शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें	निल
23.	पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें ।	निल

<p>24 जाँच आख्या / विवरण / सारांश .</p>	<p>सन्दर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र की जांचक्रम में थाना विन्ध्याचल व कार्यालय क्षेत्राधिकारी नगर से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि शिकायतकर्त्री श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर की मूल निवासिनी है। आवेदिका के पति प्रमोद कुमार व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा आपस में सगे भाई हैं जिनके मध्य पुरानी रंजीश को लेकर आपस में दिनांक 14.09.2024 को मार पीट किया गया था। जिसके संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल में एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व शुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया जबकि इसी घटना के संबंध में विपक्षी सरोजा देवी की तहरीर पर आवेदिका महिमा कुशवाहा व उनके पति प्रमोद कुमार के विरुद्ध थाना विन्ध्याचल में एनसीआर संख्या 105/2024 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 बीएनएस दर्ज कराया गया है। जाँच के क्रम में उभयपक्षों के विरुद्ध दिनांक 14.09.2024 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया था।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिये जाने व राज्य महिला आयोग लखनऊ सहित अन्य उच्चाधिकारीगणों को उक्त एनसीआर के सम्बन्ध में बार-बार आवेदन दिये जाने पर पुनः परीक्षण एवं उच्चाधिकारीगणों से प्राप्त निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष विन्ध्याचल को उक्त एनसीआर की विवेचना किये जाने हेतु मा० न्यायालय से आदेश प्राप्त कर विवेचना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष विन्ध्याचल द्वारा दिनांक: 05-06-2025 को अन्तर्गत धारा 175 (3) बीएनएस आदेश मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर को प्रेषित रिपोर्ट के माध्यम से एनसीआर नं०-104/2024 धारा- 115(2)/352 बीएनएस की विवेचना किये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ। आदेश के क्रम में विवेचना उ०नि० राघवेन्द्र राय थाना विन्ध्याचल द्वारा सम्पादित करते हुए गुण दोष के आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र राम बली व शुभम कुशवाहा पुत्र मनोज कुशवाहा के विरुद्ध धारा 115(2)/352 बीएनएस में आरोप पत्र संख्या nil/2025 दिनांक 24.10.2025 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका के प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नं०- 9198010433 पर संपर्क करने पर आवेदिका के पति श्री प्रमोद कुमार द्वारा फोन रिसिव कर बताया गया कि उनके प्रकरण में सही से कार्यवाही नहीं हुई है तथा प्रमोद मौर्य द्वारा उपलब्ध कराये गये मो०नं०- 7355543503 पर वार्ता करने पर आवेदिका उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसके प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आवेदिका को बताया गया कि उनके प्रकरण में विवेचक द्वारा विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र राम बली व शुभम कुशवाहा पुत्र मनोज कुशवाहा के विरुद्ध धारा 115(2)/352 बीएनएस में आरोप पत्र संख्या nil/2025 दिनांक 24.10.2025 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम जानकारी मा० न्यायालय से प्राप्त करते हुए मा० न्यायालय से चाराजोई करके अनुतोष प्राप्त करें।</p> <p style="text-align: center;">आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।</p>
---	--

पत्र संख्या- एसटी-अ०पु०अ०नगर-आईजीआरएस /2025  
दिनांक- दिसम्बर, ,2025

  
**अपर पुलिस अधीक्षक नगर**  
**मीरजापुर।**